राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2894 / 2025

रविन्द्र सिंह मीणा

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.07.2025

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में किया गया था। अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति दो वर्ष के लिए की गई थी, परंतु वर्तमान में अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति को 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति अभी तक समाप्त नहीं की गई है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग में भेजने के लिए अपीलार्थी ने एक पत्र भी दिनांक 12.05.2025 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित किया, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति भी नहीं बढाई गई है, फिर भी अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर 3 वर्ष से अधिक समय से लगातार कार्यरत रखा गया है, जो उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य